IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 807 OF 2024

Anup Singh Bhati ...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh ...Respondent

INDEX

S. No.	Particulars	Page no.
1.	Compliance Report on Behalf Of District Magistrate, Bulandshahar, Uttar Pradesh.	03-10
2.	**ANNEXURE-01** Copy of the letter number 604/0G-262/2024 dated 11.09.2024	11-13
3.	**ANNEXURE-02** Copy of the Letter 625/0G-262/2024 dated 24.09.2024 to the Nagar Palika Parishad, Sikandrabad	14-15
4.	**ANNEXURE-03** Copy of the letter a letter 637/0G-263/2024 dated 27.09.2024 was sent to the Executive Engineer, Electricity Distribution Division, Sikandrabad	16-17
5.	**ANNEXURE-04** Copy of the report provided by the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Sikandrabad through letter no. 804/Swa0Vi0/2024-25 dated 28.09.2024	18-19

6.	**ANNEXURE-05** Copy of the report provided by the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Sikandrabad through letter no. 810/Swa0Vi0/2024-25 dated 30.09.2024	20-21
7.	**ANNEXURE-06** Copy of the letter stating plastic electric meter boxes were confirmed to have been removed by the Electricity Department	22
8.	**ANNEXURE-07** Copy of the letter no. 648/0G-262/2024 dated 30.09.2024 to the District Panchayati Raj Officer, Bulandshahr	23
9.	**ANNEXURE-08** Copy of the Report provided by the District Panchayati Raj Officer, Bulandshahr through letter no. 3259/P0/SBM-G/NGT/DC IMIS/2024-25 dated 09.10.2024	25-26

THROUGH

Priyanka

PRIYANKA SWAMI

ADVOCATE

DATE : 21.10.2024

STANDING COUNSEL FOR STATE OF UTTAR PRADESH

F-13, GROUND FLOOR, JANGPURA, NEW DELHI - 110014

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 807 OF 2024

Anup Singh Bhati ...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh ...Respondent

COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, BULANDSHAHAR, UTTAR PRADESH.

Most Respectfully Showeth:

1. This humble submission is made in response to the Hon'ble Tribunal's order dated 22-08-2024, which directs Respondent No…., the District Magistrate, Bulandshahar, Uttar Pradesh, designated as the **Nodal Agency** to lead a Joint Committee with the UPPCB to investigate illegal dumping by Sikandrabad Nagar Palika. If such dumping was found, corrective actions, including the assessment of environmental compensation and prosecution under the Environment Protection Act, 1986 and Solid Waste Management Rules, 2016, were to be taken. The exercise was to be completed within two months, and a compliance report was to be submitted to the Registrar General of the NGT.. The order states:

   "…4. We accordingly constitute a Joint Committee comprising District Magistrate, Bulandshahr and Uttar Pradesh Pollution Control Board,

   5. District Magistrate, Bulandshahr shall be the Nodal Agency for coordination and compliance of this order.

6. Said Committee shall visit the site, and if find that there is any illegal dumping of waste by Sikandrabad Nagar Palika, shall take appropriate prohibitive punitive preventive and remedial action against the violator(s) which will include assessment of environmental compensation and prosecution under the relevant provisions of Environment Protection Act, 1986 read with Solid Waste Management Rules, 2016,

7. Above exercise shall be completed within two months. The Committee shall submit a Compliance Report with the Registrar General of this Tribunal. If any further order is required, Registrar General may place the matter before the Bench"

2. The Hon'ble National Green Tribunal (NGT) vide order dated **22.08.2024** in **O.A. No. 807/2024** directed the concerned authorities to take necessary action regarding the illegal dumping of solid waste near the pond located on **Faridpur Road** in **Village Nizampur**. The complaint was lodged by **Shri Anup Singh Bhati**, who highlighted the illegal dumping of solid waste by **Sikandrabad Nagar Palika** in the said pond, which led to the burning of the waste, emitting smoke that caused significant health hazards to the local residents. Despite the intervention of the fire department, the fire and emission continued unabated, causing severe air pollution.

3. In compliance with the Hon'ble Tribunal's order dated **22.08.2024**, the **District Magistrate, Bulandshahr** constituted a Joint Committee comprising the **Sub Divisional Magistrate, Sikandrabad**, and the **Regional Officer, UP Pollution Control Board, Bulandshahr**. This was done through **letter number 604/0G-262/2024 dated 11.09.2024** to investigate the matter and ensure the proper disposal and treatment of solid waste as per the **Solid Waste Management Rules, 2016**. Copy of the letter number 604/0G-262/2024 dated 11.09.2024 is marked and annexed as **ANNEXURE-1.**

4. The Joint Committee conducted an inspection of the pond located near the **Bijli Ghar in Village Nizampur** on **23.09.2024**. During the inspection, domestic waste and plastic waste were found dumped near the pond. The geo-coordinates of the inspected site are **Latitude: 28.440684, Longitude: 77.682604**. Additionally, plastic electric meter boxes were found dumped near and within the pond area. However, no ongoing fire or fugitive emissions were observed at the site.

5. The **Regional Office, UP Pollution Control Board, Bulandshahr** issued a letter **625/0G-262/2024 dated 24.09.2024** to the **Nagar Palika Parishad, Sikandrabad** directing them to dispose of the domestic and plastic waste in accordance with the applicable rules. Copy of the Letter 625/0G-262/2024 dated 24.09.2024 to the Nagar Palika Parishad, Sikandrabad is herewith marked and annexed as **ANNEXURE-2**. To address the disposal of plastic electric meter boxes, a letter **637/0G-263/2024 dated 27.09.2024** was sent to the **Executive Engineer, Electricity Distribution Division, Sikandrabad**, requesting the removal of the electric meter waste. Copy of the letter a letter 637/0G-263/2024 dated 27.09.2024 was sent to the Executive Engineer, Electricity Distribution Division, Sikandrabad is herewith annexed as **ANNEXURE-3.**

6. In compliance with the Hon'ble Tribunal's order dated **22.08.2024**, the **Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Sikandrabad** provided a report through **letter no. 804/Swa0Vi0/2024-25 dated 28.09.2024**, stating that although the domestic waste near the pond was not dumped by the Nagar Palika Parishad, they took the responsibility and removed the waste as per the **Municipal Solid Waste Rules,**

2016. Copy of the report provided by the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Sikandrabad through letter no. 804/Swa0Vi0/2024-25 dated 28.09.2024 is marked and annexed as **ANNEXURE 4.** The **Nagar Palika Parishad, Sikandrabad** further informed via **letter no. 810/Swa0Vi0/2024-25 dated 30.09.2024** that the pond in question falls within the jurisdiction of **Gram Panchayat Nizampur** and is outside the limits of the Nagar Palika Parishad. Copy of the report provided by the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Sikandrabad through letter no. 810/Swa0Vi0/2024-25 dated 30.09.2024 is marked and annexed as **ANNEXURE 5.**

7. A verification inspection was conducted by the **Junior Engineer** and **Assistant Scientific Officer** from the **Regional Office, UP Pollution Control Board, Bulandshahr**. It was found that while the majority of the domestic waste had been removed by the Nagar Palika Parishad, a small amount of waste was still present near the pond. The **plastic electric meter boxes** were confirmed to have been removed by the Electricity Department. Copy of the letter stating plastic electric meter boxes were confirmed to have been removed by the Electricity Department is herwith marked and annexed as **ANNEXURE 6.**

8. Considering the jurisdiction clarification, the **Regional Office, UP Pollution Control Board, Bulandshahr**, issued a letter **648/0G-262/2024 dated 30.09.2024** to the **District Panchayati Raj Officer, Bulandshahr**, requesting the removal of the remaining waste and the installation of a warning board to discourage further illegal dumping at the site, with a warning of penalties for non-compliance. Copy of the letter no. 648/0G-262/2024 dated 30.09.2024 to the

District Panchayati Raj Officer, Bulandshahr is herewith marked and annexed as **ANNEXURE 7.**

9. In response to the above directions, the **District Panchayati Raj Officer, Bulandshahr**, provided a report through **letter no. 3259/P0/SBM-G/NGT/DC IMIS/2024-25 dated 09.10.2024**, confirming that the remaining waste had been disposed of as per the **Solid Waste Management Rules, 2016**, and a warning board was installed at the site. Additionally, a plantation drive was conducted to prevent further illegal dumping. Copy of the Report provided by the District Panchayati Raj Officer, Bulandshahr through letter no. 3259/P0/SBM-G/NGT/DC IMIS/2024-25 dated 09.10.2024 is herewith marked and annexed as **ANNEXURE 8.**

10. In compliance with the Hon'ble NGT's order dated **22.08.2024**, all necessary actions have been taken by the concerned authorities, including the removal of domestic and plastic waste from the site, jurisdiction clarification, and the installation of warning signs to prevent future violations. The compliance of the **Solid Waste Management Rules, 2016**, has been ensured, and efforts have been made to mitigate the environmental impact on the pond area.

THROUGH

PRIYANKA SWAMI

ADVOCATE

STANDING COUNSEL FOR STATE OF UTTAR PRADESH

F-13, GROUND FLOOR, JANGPURA, NEW DELHI - 110014

DATE: 21-10-2024

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 807 OF 2024

Anup Singh Bhati ...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. ...Respondent

AFFIDAVIT

I, **Chandra Prakash Singh** aged about 54 years s/o Sh. Harish Chandra Singh is presently posted as **District Magistrate, Bulandshahar, Uttar Pradesh** having an office at **Bulandshahar, Uttar Pradesh** presently in Delhi.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.

2. That the accompanying Compliance report has been drafted by our counsel upon my instructions.

3. That the contents of the accompanying Compliance report are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

NOTARY
Madan Lal Garg
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 698
Ex. Date-20 Dec. 2024
GOVT. OF INDIA

13

Verified on solemn affirmation at ~~New Delhi~~ Bulandshahr on this 21 day of 10 2024, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
Madan Lal Garg
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 698
Ex. Date-20 Dec. 2024
GOVT. OF INDIA

21 OCT

NOTARY
Madan Lal Garg
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 698
Ex. Date-20 Dec. 2024
GOVT. OF INDIA

ANNEXURE-1

कार्यालय जिलाधिकारी बुलन्दशहर।

पत्रांकः 604/06-262/24 दिनांक 11/09/24

कार्यालय आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में श्री अनूप सिंह भाटी, निवासी–निजामपुर, पुलिस स्टेशन–सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर द्वारा जनपद बुलन्दशहर में फरीदपुर रोड पर ग्राम निजामपुर, बिजली घर के पास तालाब में नगर पालिका परिषद, सिकन्दराबाद द्वारा अवैध रूप से सॉलिड वेस्ट डाले जाने से हो रहे प्रदूषण के कारण स्थानीय लोगों को सांस लेने में समस्या होने एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरा होने की गयी शिकायत की गई है। तत्कम में ओ0ए0 नं0–807/2024 अनूप सिंह भाटी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 23.08.2024 को संयुक्त समिति के माध्यम से शिकायत के संदर्भ में पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, 1986 एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 के अन्तर्गत नियमानुसार उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेशों के अनुपालन में निम्न अधिकारियों की समिति का गठन किया जाताहैः–

1. **उप जिलाधिकारी, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर।**
2. **क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर।**

उक्त समिति मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में प्रश्नगत् प्रकरण की पर्यावरणीय अधिनियमों के अनुपालन की जाँच करते हुये नियमानुसार यथाआवश्यक कार्यवाही करते हुये आख्या अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि ससमय कार्यवाही की आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रस्तुत की जा सके।

(चन्द्र प्रकाश सिंह)
जिलाधिकारी
बुलन्दशहर

पृष्ठांकन सं0– दिनांकः–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बुलन्दशहर।
2. सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ।

11.9.24
जिलाधिकारी
बुलन्दशहर

Item No.05

Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No.807/2024

Anup Singh Bhati

Applicant

Versus

State of UP

Respondent

Date of hearing: 23.08.2024

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant(s): None

ORDER

1. Anup Singh Bhati resident of village Nizampur, Police Station Sikandrabad, District Bulandshahr and State Uttar Pradesh has sent a letter petition dated 27.10.2023, raising a complaint of illegal dumping of garbag in a pond near village Nazampur Bijlighar on Faridpur Road in District Bulandshahr and this complaint has been registered under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as '**NGT Act, 2010**') in exercise of *suo-moto* jurisdiction in view of law laid down by Supreme Court *Municipal Corporation of Greater Mumbai Versus Ankita Sinha and Others, (2022) 13 SCC 401.*

2. Complainant has said that there is a pond near village Nizampur at Faridpur road wherein Sikandrabad Nagar Palika is dumping solid waste in an illegal manner and thereby causing pollution. For a few days solid waste was burning emitting huge smoke and when fire department was informed, one vehicle deployed but it could not control the fire emission of smoke continued causing breathing problem to the local habitants and other health hazards.

3. In our view, complaint made in this Original Application can be looked into at the first instance, effectively, by District Administration and Statutory Regulator.

4. We accordingly constitute a Joint Committee comprising District Magistrate, Bulandshahr and Uttar Pradesh Pollution Control Board.

5. District Magistrate, Bulandshahr shall be the Nodal Agency for co-ordination and compliance of this order.

6. Said Committee shall visit the site, and if find that there is any illegal dumping of waste by Sikandrabad Nagar Palika, shall take appropriate prohibitive punitive preventive and remedial action against the violator(s) which will include assessment of environmental compensation and prosecution under the relevant provisions of Environment Protection Act, 1986 read with Solid Waste Management Rules, 2016.

7. Above exercise shall be completed within two months. The Committee shall submit a Compliance Report with Registrar General of this Tribunal. If any further order is required, Registrar General may place the matter before the Bench.

8. With the above directions this Original Application is disposed of.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

August 22, 2024
Original Application No.807/2024
M

ANNEXURE-2

क्षेत्रीय कार्यालय
दूरभाष : 05732—233879
फैक्स : 05732—233879
ई—मेल : *robulandshahar@uppcb.in*
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
Uttar Pradesh Pollution Control Board
F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर—203001

संदर्भ : 625/ODG-262/24 दिनांक : 24/09/24

"अतिआवश्यक / समयबद्ध / मा0 एनजीटी प्रकरण"

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, सिकन्दराबाद,
जनपद—बुलन्दशहर।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0—807/2024 अनूप सिंह भाटी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि श्री अनूप सिंह भाटी, ग्राम निजामपुर, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपने शिकायती पत्र दिनांक 27.10.2023 द्वारा ग्राम निजामपुर, बिजली घर, फरीदपुर रोड पर स्थित तालाब में नगरीय अपशिष्ट की अवैध डम्पिंग किये जाने की शिकायत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की गई है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0—807/2024 अनूप सिंह भाटी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 22.08.2024 को आदेश पारित किये गये हैः—

"6. Said Committee shall visit the site, and if find that there is any illegal dumping of waste by Sikandrabad Nagar Palika, shall take appropriate prohibitive punitive preventive and remedial action against the violator(s) which will include assessment of environmental compensation and prosecution under the relevant provisions of Environment Protection Act, 1986 read with Solid Waste Management Rules, 2016"

आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा उप जिलाधिकारी, सिकन्दराबाद एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा दिनांक 23.09.2024 को शिकायती स्थल का निरीक्षण किया गया। ग्राम निजामपुर में बिजली घर के निकट, फरीदपुर रोड के किनारे तालाब स्थित है। तालाब के चारो ओर किये गये निरीक्षण में पाया गया कि फरीदपुर रोड पर तालाब के निकट नगरीय घरेलू अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट डम्प पाया गया। उक्त के अतिरिक्त दनकौर रोड के निकट उक्त तालाब के किनारे प्लास्टिक के बिजली मीटर के बॉक्स भी डम्प पाये गये एवं कुछ बॉक्स तालाब में गिरे पाये गये। नगर पालिका द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 प्रख्यापित है। नगरीय क्षेत्र से जनित ठोस अपशिष्ट का निस्तारण उक्त नियमों के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

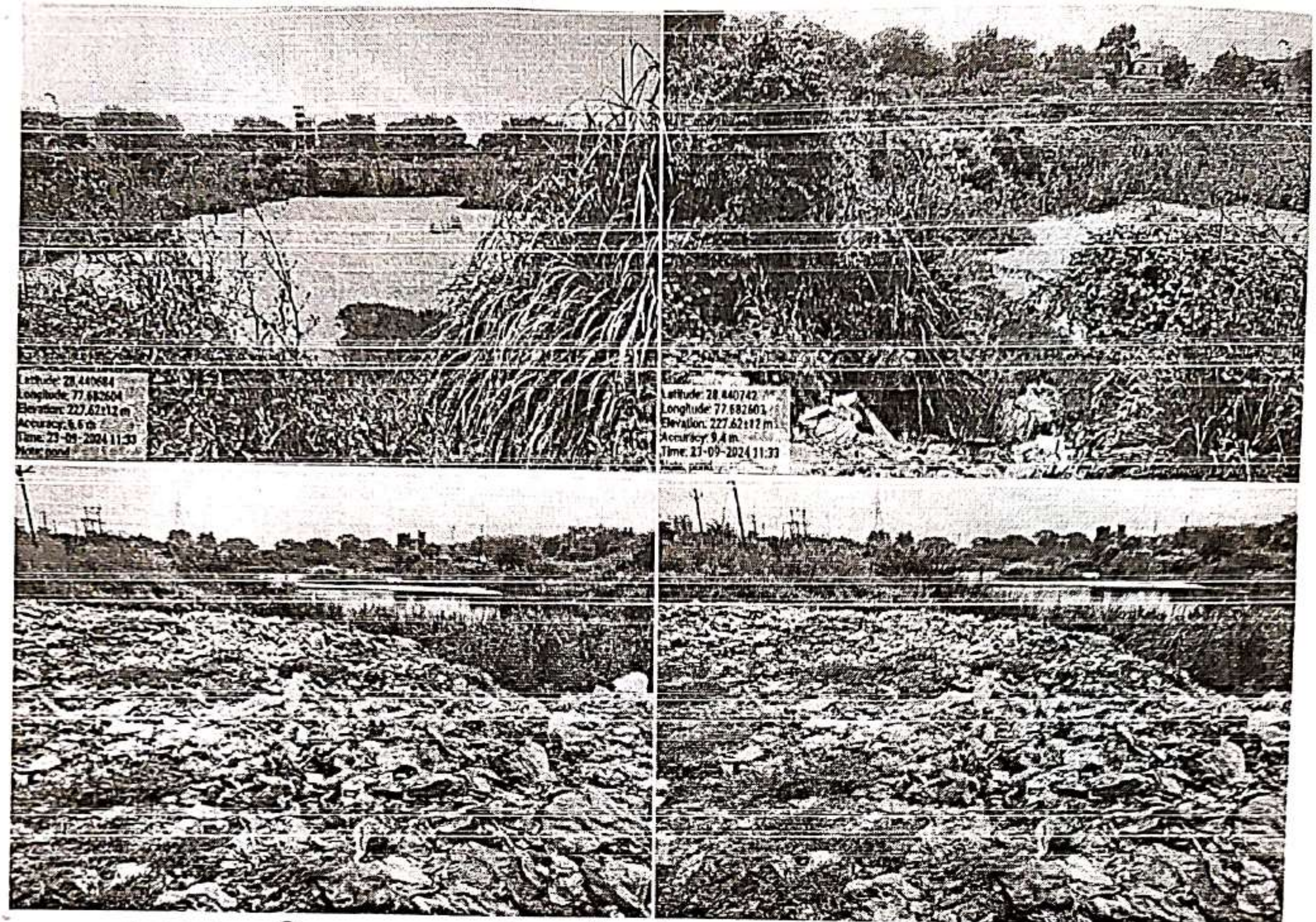

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि उक्त ग्राम निजामपुर में स्थित तालाब के किनारे डम्प नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुसार 01 सप्ताह के अन्दर निस्तारित कराया जाना सुनिश्चित कराते हुये कृतकार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि ससमय अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(सपना श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/(वि0/रा0), बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप जिलाधिकारी, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

ANNEXURE-3

क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष : 05732–233879
फैक्स : 05732–233879
ई–मेल : robulandshahar@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
Uttar Pradesh Pollution Control Board
F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर–203001

संदर्भ : 637/09-263/24

दिनांक : 27/09/24

"अतिआवश्यक / समयबद्ध / मा0 एनजीटी प्रकरण"

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड, सिकन्दराबाद,
जनपद–बुलन्दशहर।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0–807/2024 अनूप सिंह भाटी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि श्री अनूप सिंह भाटी, ग्राम निजामपुर, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपने शिकायती पत्र दिनांक 27.10.2023 द्वारा ग्राम निजामपुर, बिजली घर, फरीदपुर रोड पर स्थित तालाब में नगरीय अपशिश्ट की अवैध डम्पिंग किये जाने की शिकायत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की गई है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0–807/2024 अनूप सिंह भाटी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 22.08.2024 को आदेश पारित किये गये है:–

"6. Said Committee shall visit the site, and if find that there is any illegal dumping of waste by Sikandrabad Nagar Palika, shall take appropriate prohibitive punitive preventive and remedial action against the violator(s) which will include assessment of environmental compensation and prosecution under the relevant provisions of Environment Protection Act, 1986 read with Solid Waste Management Rules, 2016"

आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा उप जिलाधिकारी, सिकन्दराबाद एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा दिनांक 23.09.2024 को शिकायती स्थल का निरीक्षण किया गया। ग्राम निजामपुर में बिजली घर के निकट, फरीदपुर रोड के किनारे तालाब स्थित है। तालाब के चारो ओर किये गये निरीक्षण में पाया गया कि फरीदपुर रोड पर तालाब के निकट नगरीय घरेलू अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट डम्प पाया गया। उक्त के अतिरिक्त दनकौर रोड के निकट बिजली घर के पीछे उक्त तालाब के किनारे प्लास्टिक के बिजली मीटर बॉक्स भी डम्प पाये गये एवं कुछ बॉक्स तालाब में गिरे पाये गये। श्री शुभम कुमार रजौरिया, अवर अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सिकन्दराबाद से सपंर्क किया गया एवं तालाब के किनारे एवं तालाब में डम्प पाये गये बिजली मीटर बॉक्स के सम्बन्ध में पूंछा गया, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इससे अनभिज्ञ है एवं उक्त बॉक्स ठेकेदार द्वारा उक्त स्थल पर डम्प किये गये है। निरीक्षण के दौरान श्री राजौरिया, अवर अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उक्त बॉक्स को तत्काल विस्थापित करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

...2/–

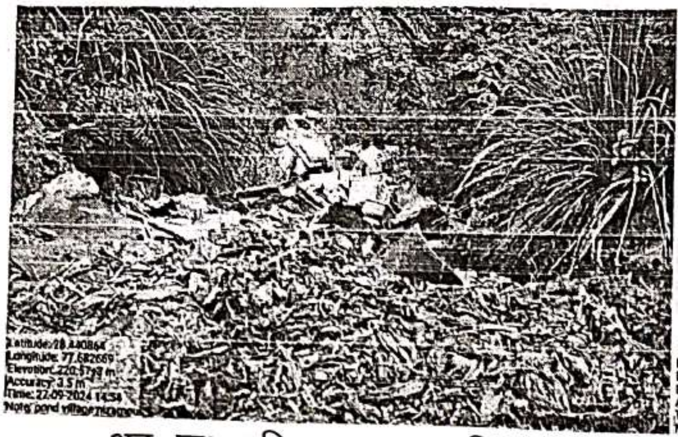

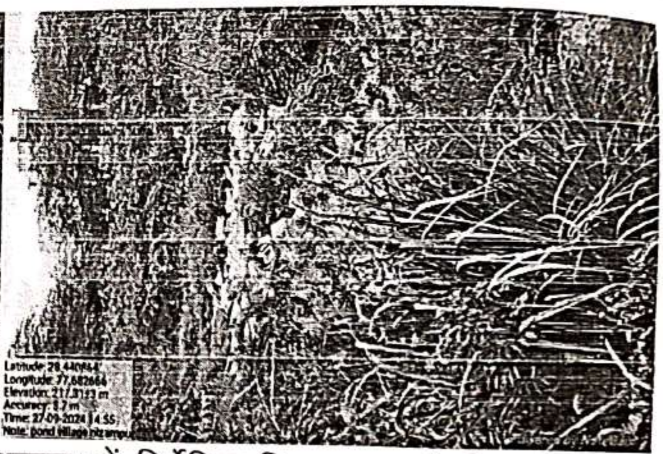

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि उक्त ग्राम निजामपुर में स्थित तालाब के किनारे एवं तालाब में डम्प पाये गये बिजली मीटर बॉक्स को 02 दिवस के अन्दर विस्थापित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में अधिनियमों के अन्तर्गत की गयी किसी भी प्रतिकूल कार्यवाही एवं अधिरोपित किये जाने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके स्वयं का होगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(सपना श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/(वि0/रा0), बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप जिलाधिकारी, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद(बुलन्दशहर)

पत्रांकः–804 / स्वा0वि0 / 2024–25 दिनांकः– 28/09/2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
जनपद बुलन्दशहर।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0– 807 / 2024 अनूप सिंह भाटी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक– 625 / ओ0जी0–262 / 24 दिनांक 24.07.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि श्री अनूप सिंह भाटी ग्राम निजामपुर, तहसील सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपने शिकायती पत्र दिनांक 27.10.2023 द्वारा ग्राम निजामपुर बिजली घर, फरीदपुर रोड पर स्थित तालाब में नगरीय अपशिष्ट की अवैध डम्पिंग किये जाने की शिकायत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की गई है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0– 807 / 2024 अनूप सिंह भाटी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 22.08.2024 को आदेश पारित किये गये हैः–

"6 Said Committee shall visit the site, and if find that there is any illegal dumping of waste by Sikandrabad Nagar Palika, Shall take appropriate prohibitive preventive and remedial action against the viokator (s) whichwill include assessment of environmental compensation and prosecution under the relevant provisions of Environment Protection Act, 1986 read with solid waste management rules, 2016"

आदेश का अनुपाल सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा उप जिलाधिकारी, सिकन्द्राबाद एंव क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा दिनांक 23.09.2024 को शिकायती स्थल का निरीक्षण किया गया। ग्राम निजामपुर में बिजली घर के निकट, फरीदपुर रोड के किनारे तालाब स्थित है। तालाब के चारों ओर किये गये निरीक्षण में पाया गया कि फरीदपुर रोड पर तालाब के निकट उक्त तालाब के किनारे प्लास्टिक के बिजली के मीटर बाक्स भी डम्प पाये गये एवं कुछ बाक्स तालाब में गिरे पाये गये। नगर पालिका द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम– 2016 प्रख्यापित है नगरीय क्षेत्र से जनित ठोस अपशिष्ट का निस्तारण उक्त नियमों के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि प्रश्नगत उक्त स्थल पर नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद द्वारा नगर का अपशिष्ट नहीं डाला गया है। उक्त समिति के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण में दिये गये निदेशानुसार स्थल से कूडा करकट आदि को हटवा दिया गया है और साफ मिटटी डलवाकर समतल करा दिया है एवं पालिका के समस्त सफाई कर्मचारियों को आदेशित कर दिया गया है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के दिशा निर्देशानुसार निर्धारित स्थान पर ही निस्तारित करें। आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक– फोटोग्राफ।

उपजिलाधिकारी / अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–1– जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।
2– अपर जिलाधिकारी महोदय (प्रशासन) / (वि0 / रा0) बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– उपजिलाधिकारी महोदय, सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4– मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वित्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद
28/09

D:\Amit Bhatnagar\helth letter\Letter NGTA.doc

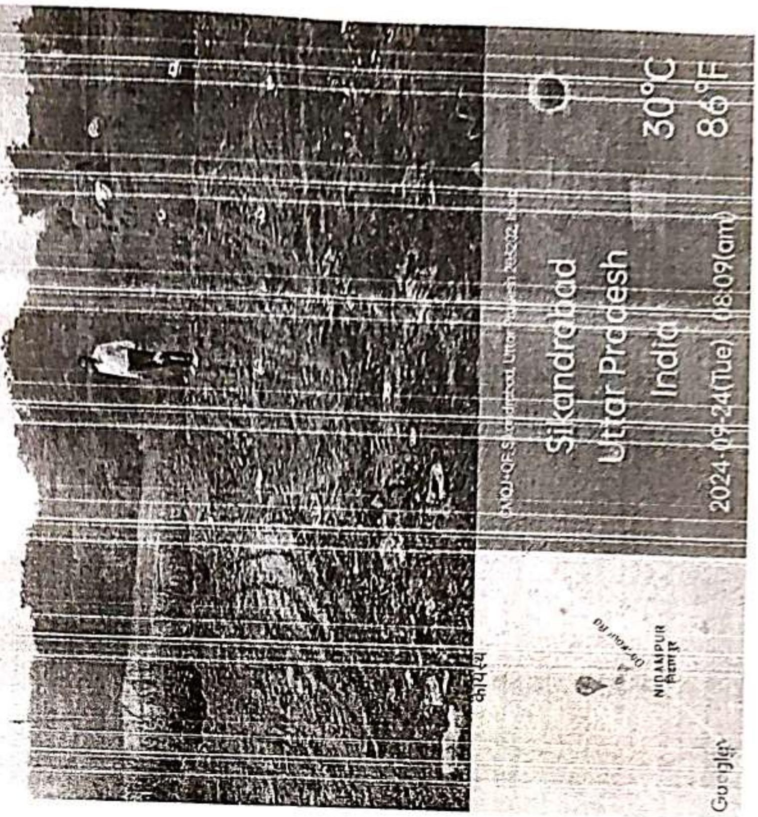
Sikandrabad
Uttar Pradesh
India
2024-09-24(Tue) 08:09(am)
30°C
86°F
Google

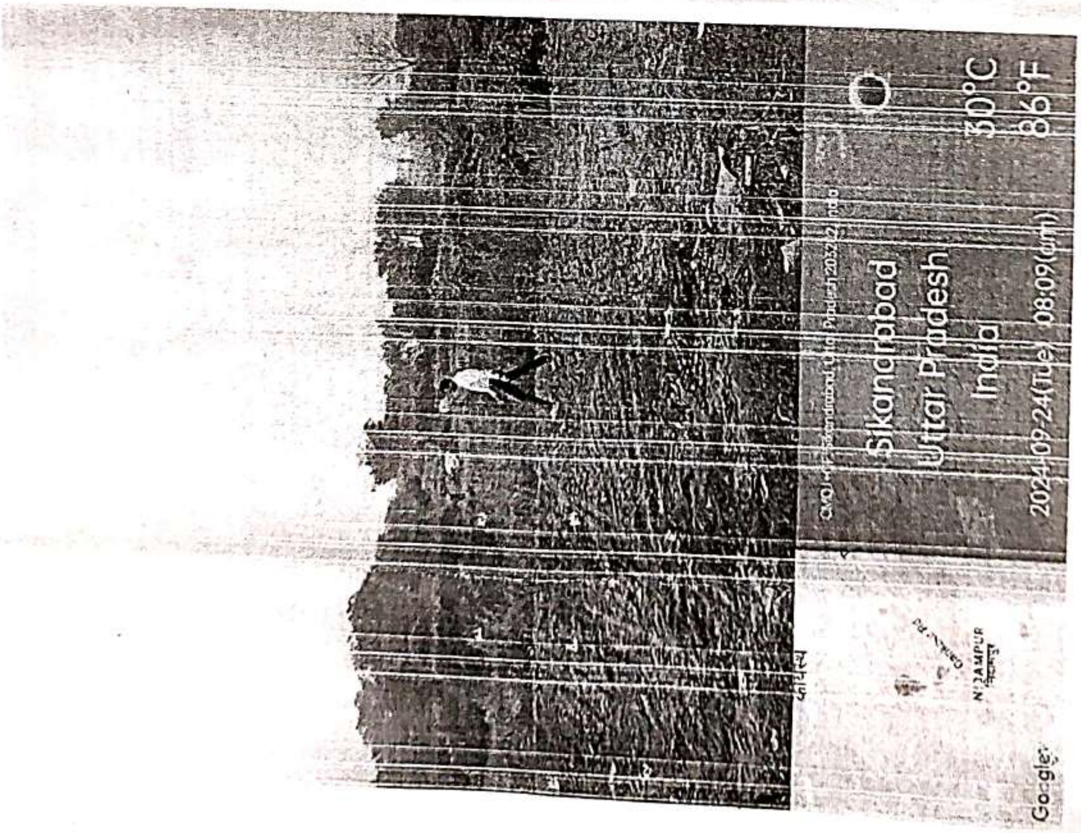
Sikandrabad
Uttar Pradesh
India
2024-09-24(Tue) 08:09(am)
30°C
86°F
Google

संशोधित

कार्यालय नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद(बुलन्दशहर)

पत्रांकः– 810 /स्वा0वि0/2024–25 दिनांकः– 30/9/2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी

उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,

जनपद बुलन्दशहर।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0– 807/2024 अनूप सिंह भाटी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक– 625/ओ0जी0–262/24 दिनांक 24.07.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि श्री अनूप सिंह भाटी ग्राम निजामपुर, तहसील सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपने शिकायती पत्र दिनांक 27.10.2023 द्वारा ग्राम निजामपुर बिजली घर, फरीदपुर रोड पर स्थित तालाब में नगरीय अपशिष्ट की अवैध उम्पिंग किये जाने की शिकायत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की गई है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0– 807/2024 अनूप सिंह भाटी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 22.08.2024 को आदेश पारित किये गये हैः–

"6 Said Committee shall visit the site, and if find that there is any illegal dumping of waste by Sikandrabad Nagar Palika, Shall take appropriate prohibitive preventive and remedial action against the viokator (s) whichwill include assessment of environmental compensation and prosecution under the relevant provisions of Environment Protection Act, 1986 read with solid waste management rules, 2016"

आदेश का अनुपाल सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा उप जिलाधिकारी, सिकन्द्राबाद एंव क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा दिनांक 23.09.2024 को शिकायती स्थल का निरीक्षण किया गया। ग्राम निजामपुर में बिजली घर के निकट, फरीदपुर रोड के किनारे तालाब स्थित है। तालाब के चारों ओर किये गये निरीक्षण में पाया गया कि फरीदपुर रोड पर तालाब के निकट उक्त तालाब के किनारे प्लास्टिक के बिजली के मीटर बाक्स भी डम्प पाये गये एवं कुछ बाक्स तालाब में गिरे पाये गये। नगर पालिका द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम– 2016 प्रख्यापित है नगरीय क्षेत्र से जनित ठोस अपशिष्ट का निस्तारण उक्त नियमों के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि *प्रश्नगत उक्त स्थल पर नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद द्वारा नगर का अपशिष्ट नहीं डाला गया है। उक्त स्थल पालिका सीमा के बाहर है एवं पालिका सीमा से लगभग 1.5 कि0मी0 दूर है।* उक्त समिति के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण में दिये गये निदेशानुसार स्थल से पालिका की जे0सी0बी0 डम्पर एवं सफाई कर्मचारी लगाकर सफाई करा दी गयी है एवं पालिका के समस्त सफाई कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के दिशा निर्देशानुसार निर्धारित स्थान पर ही निस्तारित करें। पुनः यहां यह भी अवगत कराना है कि किसी के द्वारा उक्त स्थल पर अपशिष्ट गिराया गया था जिसे पुनः साफ करा दिया गया है। संशोधित आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक– फोटोग्राफ।

उपजिलाधिकारी/ अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद

30/9

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–1– जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।

2– अपर जिलाधिकारी महोदय (प्रशासन)/ (वि0/रा0) बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3– उपजिलाधिकारी महोदय, सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4– मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वित्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी/ अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद

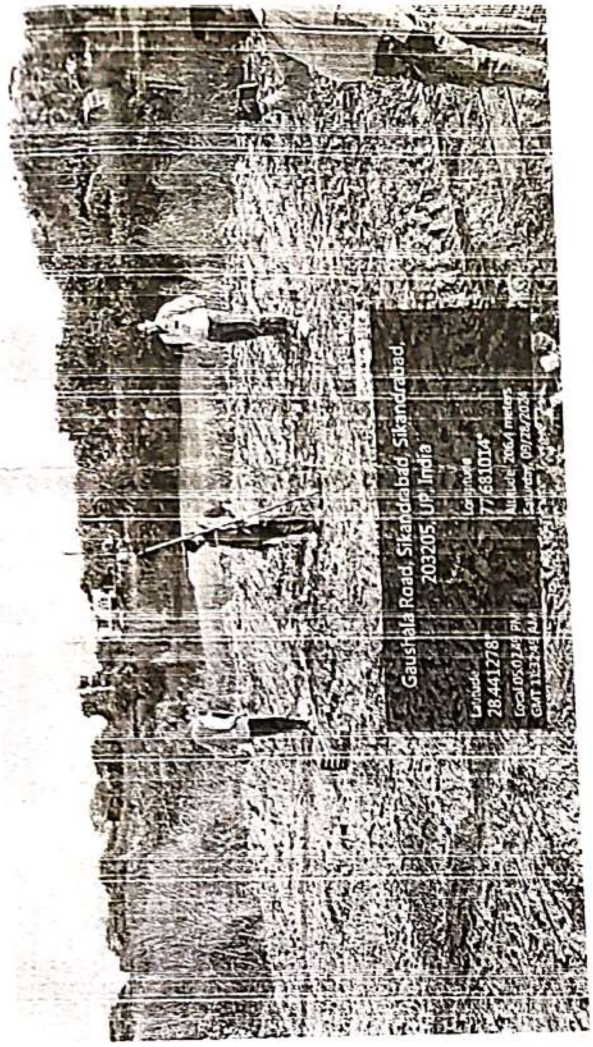
Gaushala Road, Sikandrabad, Sikandrabad,
203205, UP, India
Latitude
28.441278°
Longitude
77.681014°

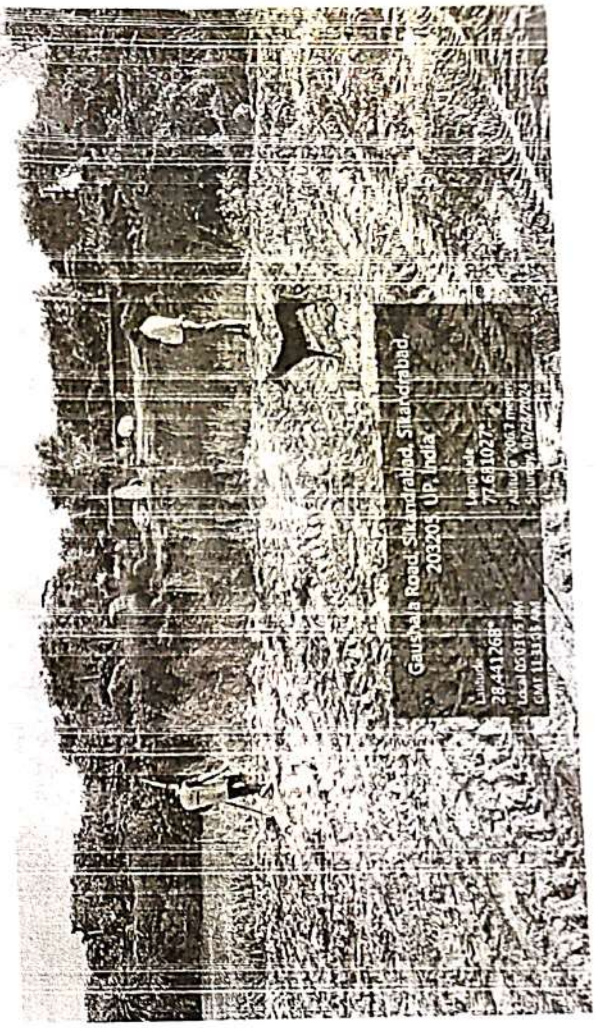
Gaushala Road, Sikandrabad, Sikandrabad,
203205, UP, India
Latitude
28.441268°
Longitude
77.681027°

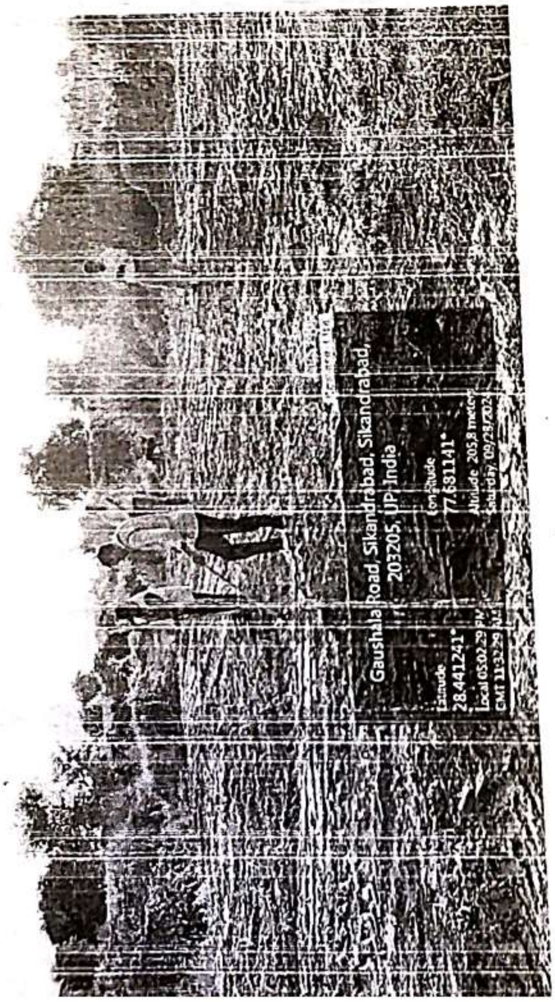
Gaushala Road, Sikandrabad, Sikandrabad,
203205, UP, India
Latitude
28.441241°
Longitude
77.681141°

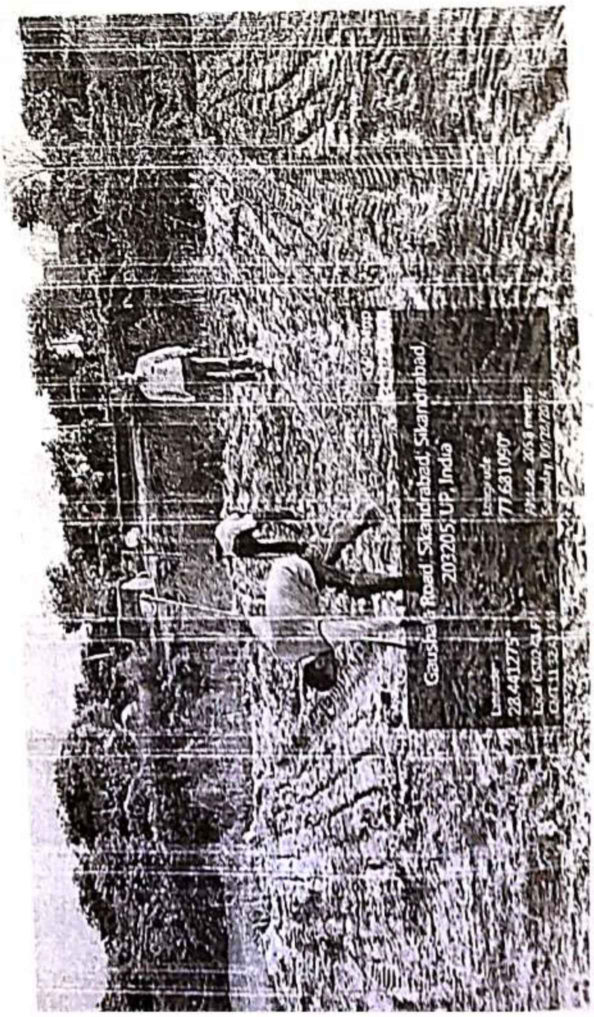
Gaushala Road, Sikandrabad, Sikandrabad,
203205, UP, India
Longitude
77.681090°

ANNEXURE-6

ई-मेल: eeedd1@gmail.com

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम
पी0 गो0 प्रधान कॉम्पलेक्स, उदयपुर मोड़,
नियर एस0एन0 मॉल, जी0टी0 रोड, सिकन्द्राबाद,
बुलन्दशहर-203205

पत्रांकः 3572 / मीटर इण्डेंट / अस्थाई संयोजन   दिनाँकः- 01/10/24

विषयः-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 807 / 2024 अनूप सिंह भाटी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 के सम्बन्ध में आपके द्वारा लिखे गए पत्र संख्या 637 / ओ0जी0-263 / 24 दिनांक 27.09.2024 के सापेक्ष माँगी गई कार्यवृत आख्या।

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
एफ-5 यमुनापुरम (एम0एम0आर0 मॉल के पीछे)
बुलन्दशहर।

उपरोक्त विषयक आप अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-637 / ओ0जी0-263 / 24 दिनांक 27.09.2024 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से आपके द्वारा निजामपुर बिजलीघर के निकट तालाब के किनारे मीटर बॉक्स को त्वरित गति से हटाकर की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु कहा है। इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि उपरोक्त कार्य दिनांक 30.09.2024 को कर दिया गया है। आप साइट का निरीक्षण कर सकते हैं।

(विनय कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष : 05732–233879
फैक्स : 05732–233879
ई–मेल : robulandshahar@uppcb.in

उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
Uttar Pradesh Pollution Control Board
F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर–203001

संदर्भ : 648/OC-282/24 दिनांक : 30/09/24

"अतिआवश्यक / समयबद्ध / मा0 एनजीटी प्रकरण"

सेवा में,

जिला पंचायतीराज अधिकारी,
जनपद–बुलन्दशहर।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0–807/2024 अनूप सिंह भाटी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि श्री अनूप सिंह भाटी, ग्राम निजामपुर, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपने शिकायती पत्र दिनांक 27.10.2023 द्वारा ग्राम निजामपुर, बिजली घर, फरीदपुर रोड पर स्थित तालाब में नगरीय अपशिश्ट की अवैध डम्पिंग किये जाने की शिकायत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की गई है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0–807/2024 अनूप सिंह भाटी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 22.08.2024 को आदेश पारित किये गये हैः–

"6. Said Committee shall visit the site, and if find that there is any illegal dumping of waste by Sikandrabad Nagar Palika, shall take appropriate prohibitive punitive preventive and remedial action against the violator(s) which will include assessment of environmental compensation and prosecution under the relevant provisions of Environment Protection Act, 1986 read with Solid Waste Management Rules, 2016"

आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा उप जिलाधिकारी, सिकन्दराबाद एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा दिनांक 23.09.2024 को शिकायती स्थल का निरीक्षण किया गया। ग्राम निजामपुर में बिजली घर के निकट, फरीदपुर रोड के किनारे तालाब स्थित है। तालाब के चारो ओर किये गये निरीक्षण में पाया गया कि फरीदपुर रोड पर तालाब के निकट नगरीय घरेलू अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट डम्प पाया गया। नगर पालिका द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 प्रख्यापित है। नगरीय क्षेत्र से जनित ठोस अपशिष्ट का निस्तारण उक्त नियमों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। नगर पालिका परिषद, सिकन्दराबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त क्षेत्र नगर पालिका परिषद की सीमा के बाहर स्थित है एवं ग्राम पंचायत निजामपुर के अन्तर्गत आच्छादित है। नगर पालिका परिषद, सिकन्दराबाद को दिये गये निर्देशों के कम में नगर पालिका परिषद द्वारा तालाब के किनारे पड़े नगरीय ठोस अपशिष्ट की सफाई का कार्य किया गया है, परन्तु आज दिनांक 30.09.2024 को कार्यालय अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया गया, जिसमें पाया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट की कुछ मात्रा अभी भी तालाब के निकट डम्प है।

...2/–

...2...

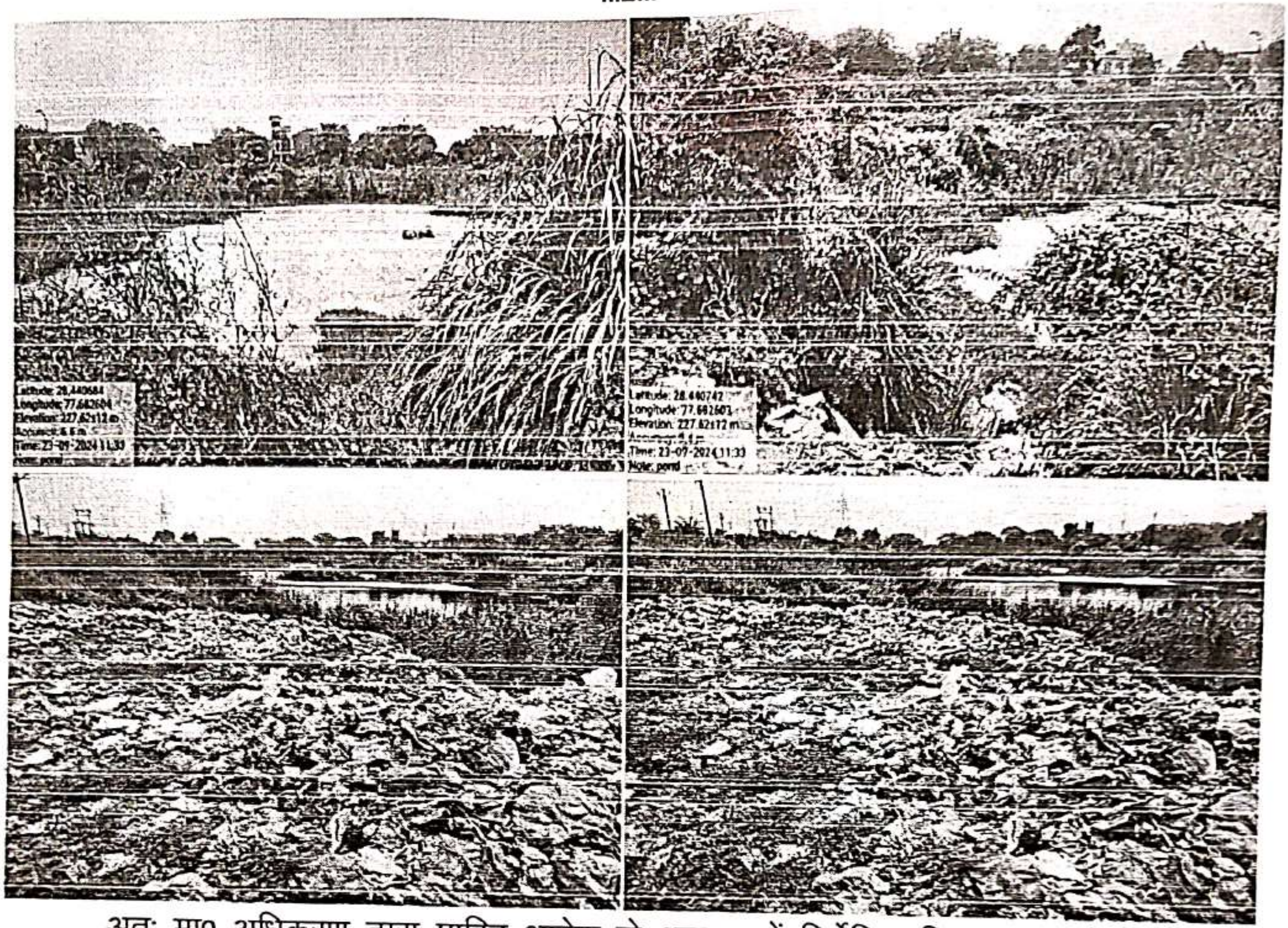

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि उक्त ग्राम निजामपुर में स्थित तालाब के किनारे डम्प नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुसार 03 दिवस के अन्दर निस्तारित कराना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में उक्त स्थल पर पुनः नगरीय ठोस अपशिष्ट की डम्पिंग को रोके जाने के दृष्टिगत वृक्षारोपण एवं बेरिकेटिंग सम्बन्धी कार्यवाही कराते हुये कृतकार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि ससमय अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण को प्रेषित की जा सके।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीया

(सपना श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/(वि0/रा0), बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप जिलाधिकारी, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

ANNEXURE-8

जिला पंचायत राज अधिकारी
बुलन्दशहर।

सेवा मे

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बुलन्दशहर।

पत्रांक 3259 /पं0/SBM-G/NGT/DC-IMIS/2024-25 दिनांक- 09.10.2024

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0-807/2024, अनूप सिंह भाटी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 648/OG- 263/24 दिनांक 30.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराते हुये कि श्री अनूप सिंह भाटी, ग्राम निजामपुर, विकास खण्ड सिकन्द्राबाद द्वारा अपने शिकायती पत्र दिनांक 27.10.2023 द्वारा ग्राम निजामपुर, बिजली घर, फरीदपुर रोड़ पर स्थित तालाब में नगरीय अपशिष्ट की अवैध डम्पिंग किये जाने की शिकायत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की गयी है, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में उक्त स्थल पर पुनः नगरीय ठोस अपशिष्ट की डम्पिंग रोके जाने के दृष्टिगत वृक्षारोपण एवं बैरिकेटिंग कराते हुये सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्र एवं आदेशों के अनुपालन में सचिव, ग्राम पंचायत निजामपुर, विकास खण्ड सिकन्द्राबाद द्वारा अपने पत्र संख्या 17/ग्रा0पं0/एस0बी0एम0-जी0/2024-25 दिनांक 08.10.2024 एवं फोटोग्राफ के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निजामपुर में स्थित तालाब के किनारे डम्प नगरीय अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुसार निस्तारित करा दिया गया है तथा निर्धारित स्थान पर वृक्षारोपण इत्यादि कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं। (छायाप्रति संलग्न)

अतः सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-यथोक्त।

(डा0 प्रीतम सिंह)
जिला पंचायत राज अधिकारी,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बुलन्दशहर।
3. उपनिदेशक(पं0) महोदय, मेरठ मण्डल, मेरठ।
4. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/(वि0/रा0), बुलन्दशहर।
5. उपजिलाधिकारी, तहसील सिकन्द्राबाद।
6. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सिकन्द्राबाद।
7. सहायक विकास अधिकारी(पं0), विकास खण्ड सिकन्द्राबाद।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
बुलन्दशहर।

प्रेषक,

सचिव
ग्राम पंचायत निजामपुर
विकास खण्ड सिकन्द्राबाद।

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी
बुलन्दशहर।

पत्रांक 17 /ग्रा0पं0/एस0बी0एम0–जी/2024–25 दिनॉक 08-10-2024

विषयः– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित ओ0ए0 सं0–807/2024 अनुप सिंह भाटी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 मे पारित आदेश दिनॉक 22.08.2024 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र सं0 3212/पं0/एस0बी0एम0–जी0/एन0जी0टी0/डी0सी0–आई0एम0आई0एस0/2024–25 दिनॉक 05.10.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बुलन्दशहर के पत्रांक 648/ओ0जी0–263/24 दिनॉक 30.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण कराते हुए अवगत कराया गया है कि श्री अनुप सिंह भाटी ग्राम निजामपुर विकास खण्ड सिकन्द्राबाद के शिकायती पत्र दिनॉक 27.10.2023 के द्वारा निजामुपर बिजली घर फरीदपुर रोड पर स्थित तालाब मे नगरीय अपशिष्ट की अवैध डम्पिंग किये जाने की शिकायत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे की गयी है। जिसके सम्बन्ध मे ग्राम निजामपुर विकास खण्ड सिकन्द्राबाद मे स्थित तालाब के किनारे डम्पिंग नगरीय अपशिष्ट को 03 दिवस मे निस्तारित कराते हुए वृक्षारोपण एवं बैरिकेटिंग कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के सम्बन्ध मे महोदय सादर अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निजामपुर मे स्थित तालाब के किनारे डम्पिंग नगरीय अपशिष्ट एवं प्लास्टिंक अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के अनुसार नियमानुसार निस्तारित कर दिया गया है तथा निर्धारित स्थान पर वृक्षारोपण इत्यादि कार्य करा दिये गये है। सूचना आपकी सेवा मे आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– डम्पिंग स्थल के फोटोग्राफ।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

प्रधान/सचिव
ग्राम पंचायत–निजामपुर
विकास खण्ड–सिकन्द्राबाद।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद बुलन्दशहर की सेवा मे सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद बुलन्दशहर की सेवा मे सादर अवलोकनार्थ।
3. उप निदेशक (पं0) महोदय, मेरठ मण्डल मेरठ के सेवा मे सादर अवलोकनार्थ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, यमना पुरम बुलन्दशहर की सेवा मे सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रधान/सचिव
ग्राम पंचायत–निजामपुर
विकास खण्ड–सिकन्द्राबाद।